

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला ...../2014

जयपुर, दिनांक: 20/10/14

आदेश


इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला उदयपुर /2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में कुल 78 शिकायतें/परिवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया, जिनमें कुल 18 शिकायतें/परिवेदनाएँ सही पाई गई। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति - सलूमबर

क.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वयन से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	बनोडा	बनोडा	राउमावि बनोडा	राप्रावि राजपुरा	राप्रावि राजपुरा	राजस्व ग्राम अलग होने से
2	इल्लारा	इल्लारा	राउगावि इल्लारा	राप्रावि इल्लारा राप्रावि गुडियाफला	राप्रावि गुडियाफला	दोनों विद्यालय के मध्य स्टेट हाईवे होने से

पंचायत समिति - सराडा

क.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वयन से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	अगरपुरा	अमरपुरा	रामावि अमरपुरा	राप्रावि अमरपुरा राप्रावि जरियाणा	राप्रावि जरियाणा	राजस्व ग्राम अलग होने से



पंचायत समिति - खैरवाडा

क.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वयन से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	सुवेरी	सुवेरी	रामावि सुवेरी	राप्रावि सुवेरी राप्रावि नाडदरा	राप्रावि नाडदरा	पंचायत लराठी होने से वीच की दुरी 15 किमी होने से

पंचायत समिति - गोगुन्दा

क.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वयन से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	गोगुन्दा	गोगुन्दा	राउमावि गोगुन्दा	राप्रावि गोगुन्दा राउप्रावि गोगुन्दा राप्रावि तकियों का भीलवाडा	राप्रावि तकियों का भीलवाडा	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र विद्यालय दुरी 12 किमी होने से एवं नामांकन अधिक

पंचायत समिति - उदयपुर

क.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वयन से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	वार्ड नं. 1	उदयपुर शहर	राउगावि देवाली	राउप्रावि नीमचखेडा	राउप्रावि नीमचखेडा	नामांकन अधिक होने से एवं आवागमन में असुविधा
2	वार्ड नं. 5	उदयपुर शहर	रावाउमावि अम्बामाता	रावाउप्रावि अम्बामाता	रावाउप्रावि अम्बामाता	रावाउप्रावि अम्बामाता के साथ राउप्रावि ब्रह्मपोल भी चलता है दोनों विद्यालय साथ चलाने के समय परेशानी एवं नामांकन अधिक होने से

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

(अन्तर सिंह नेहरा) 20/10/14  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान वीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलेक्टर, .....।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. विशिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, .....।
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय), .....।
21. रक्षित पत्रावली।

(अन्तर सिंह नेहरा) 20/10/14  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला उदयपुर/2014

जयपुर, दिनांक:

20/10/14

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला उदयपुर/2014 जयपुर दिनांक: 14.08.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। उक्त आदर्श विद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें/परिवेदनाएँ प्राप्त हुई हैं। परीक्षणों परान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों में संशोधन करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	संशोधन
1	2	3	4	5	6
1	सविना (नेला)	सविना (नेला)	मावि सविना नेला	प्रावि, सविना रुरल	प्रावि सविना रुरल के स्थान पर प्रावि सविना (नेला) किया जाता है।
2	देवलिया	देवलिया	मावि देवलिया	प्रावि, भरेव	प्रावि भरेव के स्थान पर प्रावि देवलिया संशोधन जाता है।
3	जावर	जावर	मावि जावर	राप्रावि, जावर माइस	प्रावि जावरमाइस के स्थान पर प्रावि जावर किया जाता है।
4	बनोडा	बनोडा	उमावि बनोडा	प्रावि, राजपुरा	प्रावि राजपुरा के स्थान पर प्रावि रामपुरा संशोधन किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
संयुक्त शासन सचिव  
20/10/14

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
13. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
14. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
16. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव  
20/10/14